वित्तीय स्वीकृति

संख्या-41/2023/784/18-2-2023-18-2002/14/2022

प्रेषक

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2023

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्यमकर्ता विकास योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-68/उ0वि0अनु0-9/ई0डी0पी0/स्वी0 प्रस्ताव/2023-24, दिनांक 11-7-2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) की धनराशि मा0 राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय की सूचना केन्द्र/मदवार तथा निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-6 को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-07-उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा तथा सुसंगत मदों में ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।